न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 9/2023

GCMS CASE NO-2023/9

1. मोडूराम पुत्र श्री नानूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर।

.....अपीलांट

बनाम

1. नीकू (फौत) पुत्र श्री मलू
   1/1. मु. ज्ञाना धर्म पत्नी श्री नीकू जाति सुथार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   1/2. भोमाराम
   1/3. ईमीलाल
   1/4. साहबराम
   } षिसरान श्री नीकू जाति सुथार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री अशोक छाबडा अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक 05.08.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है।

यह कि अदालत मातहत तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 14.10.2022 खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकॉर्ड के पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने के साथ साथ इकतरफा तौर पर बिना मौका की जॉच किये गये पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण निरस्ती योग्य है। अपीलांट को उपनिवेशन विभाग से सन् 1987–88 में रोही कानौर के ख.न. 11/8 में 25.00 बीघा एवं ख. न. 57 में 7.09 बीघा भूमि कुल 32.09 बीघा भूमि अलौट हुई थी, जिसका नवीनीकरण लगातार होता रहा है व तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मौका पर जाकर जो निशान दिये गये उसी के मुताबिक आज तक अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि उपनिवेशन विभाग की समाप्ति पर तमाम रिकॉर्ड राजस्व विभाग के सुपुर्द कर दिया गया वा जमाबंदी सम्वत् 2042 की तैयार की गई जिसमें भी ख.न. 11/8 में 25.00 बीघा एवं ख.न. 57 में 7.09 बीघा कुल 32.09 बीघा भूमि का अंकन कर दिया गया जो कि जमाबंदी सम्वत् 2042 के खाता सं. 144 से साबित है। तत्कालीन पटवारी हल्का उपनिवेशन द्वारा जो निशान दिये गये थे उसके अनुसार ही मुझ अपीलांट का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है किसी भी उपनिवेशन विभाग के पटवारी एवं राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा कभी भी यह नहीं बताया की आप रोही कानौर के गलत खसरा यानि ख.न. 67 की 7.00 बीघा भूमि पर काबिज है। पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार ही अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को बंजड़ तोड़कर काबिल काश्त बनाया गया, जिसमें अपीलांट द्वारा ढ़ाणी का निर्माण किया व ट्यूबवैल भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:31:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

लगाया हुआ है जिसमें बिजली का कनैक्शन भी लगा हुआ है, उक्त ढ़ाणी में तीन चार कमरें बने हुए है जिसमें अपीलांट व अपीलांट का परिवार तथा माल पशु रहता है। उसके उपरान्त भी नीकू पुत्र श्री मलू द्वारा कभी कोई एतराज नहीं किया व ना ही कभी यह कहा की उक्त भूमि मेरी है, आप गलत काबिज है। अपीलांट निरन्तर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मुझअपीलांट का कब्जा Hostile रूप से चला आ रहा है। अपीलांट व उसके परिवार के सदस्यों के परिश्रम व धन व्यय से उक्त भूमि खून पसीने की मेहनत से सींचा है व उपजाउ बनाया गया है उस समय से लेकर आज तक नीकू पुत्र मलू अथवा उसके परिवार के सदस्यों (रेस्पोडेन्टस्) द्वारा कभी कोई उज्र व एतराज नहीं किया गया। अपीलांट के कब्जा काश्त को निरंतर स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 नीकू पुत्र श्री मलू जाति सुथार जो कि गॉव कानौर का निवासी है द्वारा तमाम तथ्यों को छिपाते हुए रोही कानौर में ख.न. 67 में 7.00 बीघा वा ख.न. 75/3 में 13.03 बीघा कुल 20.03 बीघा भूमि टी.सी. पर आवंटन करवायी बरवक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट सं. 1 सरकारी पद पर था वा उपनिवेशन विभाग में बेलदार के पद पर नियुक्त रहा है सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी मशीनरी को धोखा देकर उक्त भूमि आंवटन करवायी जो कि अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने जीवन काल में ख.न. 67 की 7.00 बीघा भूमि पर कभी काश्त नहीं की वा ना ही उक्त भूमि पर उसका वा उसकी मृत्यु उपरान्त वारिसान का कब्जा रहा है। बिना कब्जा काश्त के सरकारी मशीनरी पटवारी हल्का/गिरदावर से मिलकर कूट रचना कर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से दिनांक 14.10.2022 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये उक्त खातेदारी का इन्तकाल भी दिनांक 20.10.2022 को स्वीकृत करवा लिया जो कि स्पश्टया नियम विरूद्ध तथ्यों के विपरीत वा वास्तविकता के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात इन्तकाल सं. 701 दिनांक 20.10.2022 को दर्ज करवा दिया गया है तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा मौका का कतई अवलोकन नहीं किया यदि मौका देख लेते तो मालूम हो जाता कि विवादित भूमि जिसका इन्तकाल दर्ज किया गया है वह मुझअपीलांट के कब्जा काश्त में है, पटवारी हल्का द्वारा भी खातेदारी अधिकार दर्ज करने के पूर्व ना तो मौका देखा व ना ही मुझ अपीलांट को कोई सूचना दी गई, तमाम कार्यवाही इकतरफा व पीठ पीछे की गई है। अतः इंतकाल संख्या 701 दिनांक 20.10.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त निर्णय का इल्म सर्वप्रथम तब हुआ जब अप्रार्थीयान दिनांक 03.01.2023 को गॉव के लोगो के साथ मौका पर विवादित भूमि पर आये व कहा कि भूमि खाली कर दो वरना ठीक नहीं रहेगा, तब ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार अप्रार्थीयान को खातेदारी अधिकार दिनांक 14.10.2022 को इकतरफा तौर पर जारी कर दिये गये है। फैसले को इल्म होते ही पत्रावली की नकल हेतू प्रयास किया सीगेदार द्वारा गिरदावर मनोज के द्वारा बताया कि पत्रावली यहॉ नहीं है विधि परीक्षण हेतू जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर में गई हुई है आते ही नकल उपलब्ध करवा दी जावेगी। बार बार चक्कर लगवाने के पश्चात प्रार्थना पत्र शिकायत अतिरिक्त कलैक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार सूरतगढ़ को अदालतवाला द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाकर नकल देने हेतू व मौका की जॉच पुनः करने हेतू मौखिक आदेश दिये उसके बावजूद भी नकल तहसीलदार द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी, अन्ततः दिनांक 09.01.2023 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर बाद तैयारी नकल दिनांक 12.01.2023 को नकल प्राप्त हुई। नकल मिलते ही बिना देरी किये अपील प्रस्तुत की जा रही है। जो देरी हुई है उसमें प्रार्थी का कतई दोश नहीं है विभागीय कर्मचारीगण द्वारा जानबूझकर नकल उपलब्ध नहीं करवायी है। प्रार्थी सद्भाविक काश्तकार पेशा व्यक्ति है कानून की बारीकियों को नहीं जानता है। नकल प्राप्त करने के पश्चात अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तथा रूपयों का इन्तजाम कर कागजात तैयार करवाये व सार्वजनिक अवकाश व मुख्यमंत्री साहब के दौरे के कारण पीठासीन अधिकारी के व्यस्त होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः निवेदन है कि प्रा0 पत्र दफा 5 स्वीकार करते हुये व देरी का क्षमन करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र को रंगत देने के उददेश्य से तथ्य दर्ज करवाए गए है। जबकि उत्तरवादी न0 1 को रोही कानौर के ख.न. 11/8 व 57 में रकबा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:31:10 IST
Reason: SelfAttested

1019

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आवंटन होना रिकार्ड पर आधारित है। रोही कानौर के ख.न. 67 में 7 बीघा भूमि पर उत्तरवादी गण के पति/पिता को टीसी आवंटन था आवंटन दिनांक से ही कब्ता काश्त रहा है व उनकी मृत्यु के उपरांत उत्तरवादी गण 1/1 ता 1/4 का बदूस्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो अपीलांटगण का कब्जा साबित हो मात्र उत्तरवादीगण को परेशान करने के उददेश्य से मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई चूंकि अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना किया जाकर मेरिट पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा वाके रोही कानौर के खसरा सं. 67 की 1.771 है. व खसरा सं. 75/3 में 4.086 है. कुल 5.857 है. रकबा के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जिसमें से अपीलांट के कब्जा काश्त की खसरा न. 67 की 1.771 है. भूमि जो अप्रार्थी को आवंटित है पर बिना कब्जा होते हुये भी अप्रार्थीगण के पिता के नाम से खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है उक्त आदेश से प्रार्थी के हितो पर असर पड़ रहा है जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी के हक व हित निहित होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकारी है। विवादित भूमि की पीठ पीछे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जिसकी कतई सूचना अदालत से अथवा अप्रार्थीगण से प्राप्त नहीं हुई है व अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है । अतः प्रा0 पत्र करके निवेदन है कि प्रा0 पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार करते हुये अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे व अपील दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई का मौका दिया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया है अपीलांट का यह कथन कि बिना कब्जा होते हुये भी अप्रार्थीगण के पिता के नाम से खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है सरासर गलत है अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी अस्वीकार किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई चूंकि अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है अपील के निर्णय से उसके हित प्रभावित होते है। अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 14.10.2022 खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकॉर्ड के पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने के साथ साथ इकतरफा तौर पर बिना मौका की जॉच किये गये पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण निरस्ती योग्य है। अपीलांट को उपनिवेशन विभाग से सन् 1987–88 में रोही कानौर के ख.न. 11/8 में 25.00 बीघा एवं ख.न. 57 में 7.09 बीघा भूमि कुल 32.09 बीघा भूमि अलौट हुई थी, जिसका नवीनीकरण लगातार होता रहा है व तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मौका पर जाकर जो निशान दिये गये उसी के मुताबिक आज तक अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि उपनिवेशन विभाग की समाप्ति पर तमाम रिकॉर्ड राजस्व विभाग के सुपुर्द कर दिया गया वा जमाबंदी सम्वत् 2042 की तैयार की गई जिसमें भी ख.न. 11/8 में 25.00 बीघा एवं ख.न. 57 में 7.09 बीघा कुल 32.09 बीघा भूमि का अंकन कर दिया गया जो कि जमाबंदी सम्वत् 2042 के खाता सं. 144 से साबित है। तत्कालीन पटवारी हल्का उपनिवेशन द्वारा जो निशान दिये गये थे उसके अनुसार ही मुझ अपीलांट का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है किसी भी उपनिवेशन विभाग के पटवारी एवं राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा कभी भी यह नहीं बताया की आप रोही कानौर के गलत खसरा यानि ख.न. 67 की 7.00 बीघा भूमि पर काबिज है। पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार ही अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को बंजड़ तोड़कर काबिल काश्त बनाया गया, जिसमें अपीलांट द्वारा ढ़ाणी का निर्माण किया व ट्यूबवैल भी लगाया हुआ है जिसमें बिजली का कनैक्शन भी लगा हुआ है, उक्त ढ़ाणी में तीन चार कमरें बने हुए है जिसमें अपीलांट व अपीलांट का परिवार तथा माल पशु रहता है। उसके उपरान्त भी नीकू पुत्र श्री मलू द्वारा कभी कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:31:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

एतराज नहीं किया व ना ही कभी यह कहा की उक्त भूमि मेरी है, आप गलत काबिज है। अपीलांट निरन्तर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मुझअपीलांट का कब्जा Hostile रूप से चला आ रहा है। अपीलांट व उसके परिवार के सदस्यों के परिश्रम व धन व्यय से उक्त भूमि खून पसीने की मेहनत से सींचा है व उपजाउ बनाया गया है उस समय से लेकर आज तक नीकू पुत्र मलू अथवा उसके परिवार के सदस्यों (रेस्पोडेन्टस्) द्वारा कभी कोई उज्र व एतराज नहीं किया गया। अपीलांट के कब्जा काश्त को निरंतर स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 नीकू पुत्र श्री मलू जाति सुथार जो कि गॉव कानौर का निवासी है द्वारा तमाम तथ्यों को छिपाते हुए रोही कानौर में ख.न. 67 में 7.00 बीघा वा ख.न. 75/3 में 13.03 बीघा कुल 20.03 बीघा भूमि टी.सी. पर आवंटन करवायी बरवक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट सं. 1 सरकारी पद पर था वा उपनिवेशन विभाग में बेलदार के पद पर नियुक्त रहा है सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी मशीनरी को धोखा देकर उक्त भूमि आंवटन करवायी जो कि अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने जीवन काल में ख.न. 67 की 7.00 बीघा भूमि पर कभी काश्त नहीं की वा ना ही उक्त भूमि पर उसका वा उसकी मृत्यु उपरान्त वारिसान का कब्जा रहा है। बिना कब्जा काश्त के सरकारी मशीनरी पटवारी हल्का/ गिरदावर से मिलकर कूट रचना कर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से दिनांक 14.10.2022 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये उक्त खातेदारी का इन्तकाल भी दिनांक 20.10.2022 को स्वीकृत करवा लिया जो कि स्पश्टया नियम विरूद्ध तथ्यों के विपरीत वा वास्तविकता के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात इन्तकाल सं. 701 दिनांक 20.10.2022 को दर्ज करवा दिया गया है तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा मौका का कतई अवलोकन नहीं किया यदि मौका देख लेते तो मालूम हो जाता कि विवादित भूमि जिसका इन्तकाल दर्ज किया गया है वह मुझअपीलांट के कब्जा काश्त में है, पटवारी हल्का द्वारा भी खातेदारी अधिकार दर्ज करने के पूर्व ना तो मौका देखा व ना ही मुझ अपीलांट को कोई सूचना दी गई, तमाम कार्यवाही इकतरफा व पीठ पीछे की गई है। अतः इंतकाल संख्या 701 दिनांक 20.10.2022 को निरस्त फरमाया जावे। रेस्पोडेन्टस् पटवारी हल्का को लेकर खेत में दिनांक 20.10.2022 को आये वा कहा कि यह भूमि हमारी खातेदारी भूमि है इसे खाली कर दो तो पटवारी हल्का से ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि ख.न. 67 की है ना कि ख.न. 11/8 की है मुझअपीलांट को उक्त भूमि उपनिवेशन विभाग से ख.न. 11/8 मे 25.00 बीघा भूमि अलौट हुई थी तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा जो मौका पर निशान दिये गये थे उसी अनुसार काबिज पिछले 40 वर्षो से काबिज चला आ रहा है मौका पर पटवारी हल्का द्वारा बताया कि अपीलांट का कब्जा ख.न. 67 की 7.00 बीघा पर है इससे पूर्व कतई जानकारी नहीं थी मौका पर इसी कब्जा काश्त की भूमि पर अपीलांट की ढ़ाणी बनी हुई है एक ट्यूबवैल बना रखा है जिसमें बिजली पानी का कनैक्शन है, ढ़ाणी में माल पशु बॉघ रखे है वा परिवार सहित काबिज है। मौका पर फसल हाड़ी भी काश्त है मौका देखा जा सकता है यदि वास्तविकता रेस्पोडेन्टस् द्वारा बता दी जाती तो स्थिति स्पश्ट हो जाती, अपीलांट हरिजन जाति का व्यक्ति है अब उससे षड़यन्त्र पूर्वक कब्जा छीनने की तैयारी में है यदि रकबा से अपीलांट को बेदखल कर दिया कब्जा रेस्पोडेन्टस् को दे दिया या निशान दे दिये गये तो मौका पर अशांति पैदा होगी, ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपीलांट वा उसका परिवार भूखों मर जावेगा, सड़क पर आ जावेगा वा बरबाद हो जावेगा। इसमें सरकारी मशीनरी वा रेस्पोडेन्टस् का षड़यन्त्र है जो मुझे बरबाद करने में लगा है। रोही कानौर के ख.न. 67 की 7.00 बीघा भूमि जिस पर अपीलांट का कब्जा मौका पर चला आ रहा है इससे पूर्व ना तो वर्तमान पटवारी हल्का द्वारा व ना ही रेस्पोडेन्टस् द्वारा बताया गया कि यह भूमि ख.न. 67 की है ना कि ख.न. 11/8 की है। उक्त भूमि पर अपीलांट द्वारा लाखों रूपयें खर्च करके भूमि को उपजाउ बनाया गया है। उक्त भूमि नीकू पुत्र श्री मलू को अलौट हुई थी जो कि सरकारी पद पर था उसकी मृत्यु हुए भी काफी वर्ष व्यतीत हो गये व एक मृतक व्यक्ति के नाम भूमि का दर्ज होना अपने आप में कानून विरूद्ध है तथा नीकू की मृत्यु के बाद उक्त भूमि रकबा राज दर्ज होनी चाहिये थी रेस्पोडेन्टस् द्वारा भी उक्त भूमि अपने नाम से दर्ज नहीं करवायी इसलिए भी बिना नाम वा कब्जा होते हुए खातेदारी अधिकार एक मृतक व्यक्ति के पक्ष में जारी करना कानून की घोर अवहेलना की श्रेणी में आता है। मुझअपीलांट को दिनांक 03.01.2023 को गॉव के लोगो के साथ विवादित भूमि पर आये व एलानियॉ कहा कि भूमि खाली कर दो वरना ठीक नहीं रहेगा। तब यह भी ज्ञात हुआ कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:31:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्टस् भूमि को बैंक में रहन रखकर ऋण प्राप्त करने को आमादा है व उक्त भूमि को बेचान करने की नीयत भी रखते है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्यों का ज्ञान होते ही एक शिकायत प्रार्थना पत्र भी श्रीमान जी कि अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें श्रीमान द्वारा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को तलब कर वस्तु स्थिति से अवगत करवाया कि मौका की जॉच करे एवं मुझे अवगत करावें, श्रीमान जी के मौखिक आदेश के बाद तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का को लेकर बिना सूचित किये रात के समय गॉव में गये। इससे स्पश्ट होता है कि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ रेस्पोडेन्टस को नाजायज फायदा पहुचाना चाहता है तथा मुझ अपीलांट को भारी आर्थिक नुकसान पहुॅचाने की मंशा रखता है। अपीलांट के द्वारा दिनांक 04.01.2021 को तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतू प्रस्तुत किया जो कि वास्ते रिपोर्ट पटवारी हल्का को दिनांक 06.01.2021 को प्रेषित कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई व प्रार्थना पत्र को साजिशाना चाल चलते हुए दबा दिया गया व कोई रिपोर्ट नहीं की गई।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा मात्र अपील को रंगत देने के उददेश्य से तथ्य दर्ज करवाए गए है। जबकि उत्तरवादी न0 1 को रोही कानौर के ख.न. 11/8 व 57 में रकबा आवंटन होना रिकार्ड पर आधारित है। रोही कानौर के ख.न. 67 में 7.00 बीघा भूमि उत्तरवादीगण के पति/पिता को टीसी पर आवंटन थी। उत्तरवादी गण के पति/पिता नीकूराम पुत्र मलूराम को टीसी आवंटन की दिनांक से ही कब्जा काश्त रहा है व उनके जीवनकाल मे कब्जा रहा है व उनकी मृत्यु के उपरांत उत्तरवादी गण 1/1 ता 1/4 का बदूस्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो अपीलांटगण का कब्जा साबित हो अपीलांटगण को रोही कानौर के ख.न. में कोई भी रकबा आवंटन नही है। रोही कानौर के ख.न. 67 में 7.00 बीघा व ख.न. 75/3 में 16.03 बीघा टीसी आवंटन हुई थी जिसका नवीनीकरण प्रतिवादीगण के पिता/पति नीकूराम के नाम से होता रहा है व उक्त आवंटन के आधार पर उत्तरवादीगण के पिता/पति के नाम से दिनांक 14.10.2022 को श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 परंतुक(क) के तहत खातेदारी अधिकार भी जारी हो चुका है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। मात्र उत्तरवादीगण को परेशान करने के उददेश्य से मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली का अवलोकन किए जाने के पश्चात उत्तरवादी संख्या 1/1 ता 1/4 के पति/पिता निकूराम पुत्र मल्लूराम को रोही कानौर के ख.न. 67 में 1.771 है0 व ख.न. 75/3 में 4.086 है0 कुल 5.857 है0 भूमि टीसी पर आवंटन है। अपीलांट को रोही कानौर के ख.न. 67 में भूमि आवंटन हुई है? या कब्जा में है? कोई तथ्य या साक्ष्य सबूत पेश नही किए है जिससे साबित हो कि अपीलांट का कब्जा रोही कानौर के ख.न. 67 में है। इसलिए प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि मातहत अदालत द्वारा निर्णय दिनांक 14.10.2022 मे कोई त्रृटि साबित नही होती है इसलिए अपील अपीलांट आधारहीन होने से निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त की जाती है मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.10.2022 यथावत रखा जाता है न्यायालय का मूल रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:31:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner